क्विक हील ने 'साइबर सुरक्षा के लिए साइबर शिक्षा' और 'अर्न एण्ड लर्न' अभियान की शुरुआत की

अभियान का उद्देश्य साइबर सुरक्षा पर 7,00,000 से अधिक छात्रों को साइबर सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना है

वैभव/प्रमोद कुमार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में एफआईआर भ्रष्टाचार निरोधक कानून (पीओसी) के तहत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार की अनुमति लिए बिना ही तिहाड़ जेल के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) रविंद्र यादव ने कुछ समय पहले एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ प्रशासन को पत्र लिखा है और पूछा है कि एफआईआर में नामजद अधिकारी व कर्मचारी कहां-कहां तैनात हैं। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में तिहाड़ जेल के अधिकारियों के खिलाफ पहली एफआईआर मकोका के तहत दर्ज की गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ प्रशासन को पत्र लिखा था। तिहाड़ प्रशासन ने पहली एफआईआर में नामजद सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तिहाड़ के उन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज की है जो पहली एफआईआर में बच गए थे। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू ने पत्र लिखकर तिहाड़ प्रशासन से नामजद व अधिकारियों की जानकारी मांगी है। हालांकि तिहाड़ प्रशासन ने अभी पूरी जानकारी नहीं दी है। अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने तिहाड़ तेल के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली सरकार से अनुमति मांगी थी।